

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968

संशोधन अधिनियम

प्रत्यायोजित विधान उपबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 20) ।

संक्षेपाक्षर

सं0..... संख्यांक ।

सा0 का0 नि0 साधारण कानूनी नियम ।

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन ।

यह 1 अगस्त, 1973 को यथाविद्यमान नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 65, खण्ड VII में पृष्ठ 765 से 774 में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है।

नई दिल्ली,
1 अगस्त, 1973

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार।

तीसरे संस्करण का प्राक्कथन ।

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) के पहले दो द्विभाषीय संस्करणों की सभी प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 15 जुलाई, 1986 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास और उसके अधीन बनाए गए नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 और नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ भी दिए गए हैं।

नई दिल्ली,
15 जुलाई, 1986

ब्रजकिशोर शर्मा,
अपर सचिव, भारत सरकार।

पथम संस्करण : 1 अगस्त 1973 — 1550
द्वितीय संस्करण: 1 जनवरी, 1979— 3,000
तीसरा संस्करण : 15 जुलाई, 1986—2500

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968
(1968 का अधिनियम संख्यांक 27)

[24 मई, 1968]

नागरिक सुरक्षा तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 कहा जा सकेगा।

(संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।)

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

1962 का 51

(3) यह किसी राज्य या उसके भाग में उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और जो भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के अवसान की तारीख से पूर्व की न हो, और विभिन्न राज्यों या उनके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएँ।

(क) “नागरिक सुरक्षा” के अन्तर्गत वास्तविक मुठभेड़ की कोटि में न आने वाले वे सभी उपाय हैं जो भारत में या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान, या वस्तु को किसी बैरपूर्ण आक्रमण से, चाहे वह वायु, भूमि या समुद्र से हो या अन्य स्थानों से, संरक्षण प्रदान करने के लिए अथवा ऐसे किसी आक्रमण को पूर्णतः या भागतः प्रभावहीन करने के लिए हों, चाहे ऐसे उपाय ऐसे आक्रमण के समय पर किए जाएं या उसके पूर्व या दौरान या पश्चात् किए जाएं;

(ख) “नागरिक सुरक्षा कोर” से पूर्णतः या मुख्यतः नागरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई कोर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कोर समझा जाने वाला संगठन भी है;

(ग) “बैरपूर्ण आक्रमण” से किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय द्वारा किया जाने वाला ऐसा आक्रमण अभिप्रेत है, जो चाहे वह किसी युद्ध, वाह्य अभ्याक्रमण या आन्तरिक उपद्रव के दौरान हो या अन्यथा, भारत में या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग में जीवन, सम्पत्ति, स्थान या वस्तु की सुरक्षा को संकटापन्न करता है;

(घ) “अधिसूचना” से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

1962 का 59

(ङ) “वैयक्तिक सेवा क्षति” का अर्थ है जो उसका वैयक्तिक क्षति (आपात् उपबन्ध) अधिनियम, 1962 में है;

(च) किसी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में “राज्य सरकार” से उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

1. 10 जुलाई, 1968 (सम्पूर्ण भारत में) : देखिए अधिसूचना सं 2435 तारीख 5 जुलाई, 1968।
देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1968, असाधारण भाग 2, अनुभाग 3 (ii), पृष्ठ 761।

अध्याय 2

नागरिक सुरक्षा के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

3. (1) केन्द्रीय सरकार, नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध करने नियम वाले अधिसूचना द्वारा बना सकेगी,

नागरिक सुरक्षा के लिए
नियम बनाने की शक्ति।

अर्थातः—

- (क) किसी ऐसे काम के किए जाने को निवारित करना, जिससे नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो;
- (ख) जन-साधारण को नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में शिक्षण देना और ऐसी सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए उन्हें तैयार करना;
- (ग) नागरिक सुरक्षा के लिए अपेक्षित वस्तुओं और चीजों की व्यवस्था, भंडारकरण और अनुरक्षण;
- (घ) पत्तनों तथा राज्यक्षेत्रीय, ज्वारीय और अन्तर्देशीय जल में यातायात और जलयानों, बोयाओं, रोशनियों और संकेतों के प्रयोग का प्रतिषेध या विनियमन करना;
- (ङ) रोशनियों और ध्वनियों का नियंत्रण;
- (च) अग्नि निवारक तथा अन्य उपायों द्वारा जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण;
- (छ) किन्हीं भवनों, परिसरों या अन्य संरचनाओं को किसी बैरपूर्ण आक्रमण के अवसर पर आसानी से पहचाने जाने से बचाना सुनिश्चित करना;
- (ज) जीवन और सम्पत्ति के खतरे के निवारण के लिए किसी भवन, परिसर या अन्य संरचना या किसी अन्य सम्पत्ति को तोड़ डालना, नष्ट करना या अनुपयोगी बना देना;
- (झ) निम्नलिखित के कब्जे, उपयोग या व्ययन का प्रतिषेध या विनियमन करना —
- (i) विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, संक्षारक और अन्य खतरनाक पदार्थ या चीजें, आयुद्ध और गोलाबारूद;
 - (ii) जलयान;
 - (iii) बेतार के तार का साधित्र;
 - (iv) वायुयान; तथा
 - (v) फोटोग्राफी और संकेतन साधित्र तथा सूचनाओं को अभिलिखित करने का कोई साधन;
- (ज) क्षेत्रों को खाली कराना और वहां से सम्पत्ति या जीव-जन्तुओं को हटाना;
- (ट) एक क्षेत्र से निष्कामित व्यक्तियों को किसी अन्य क्षेत्र में बसाना और ऐसे क्षेत्र में बसाए गए निष्कामित व्यक्तियों के आचरण का विनियमन;
- (ठ) निष्कामित व्यक्तियों या इस अधिनियम के अधीन कृत्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को अवासादेश देना;
- (ड) नुकसानग्रस्त भवनों, संरचनाओं और सम्पत्ति का उद्धारण तथा शवों का व्ययन;
- (ढ) क्षत, अदावाकृत या खतरनाक जीव-जन्तुओं का अभिग्रहण, उनकी अभिरक्षा या उन्हें नष्ट करना;
- (ण) निम्नलिखित की सुरक्षा को सुनिश्चित करना—
- (i) पतन, डॉकयार्ड, दीप-स्तंभ, दीप-पोत, हवाई अड्डे और विमान संचालन से सम्बद्ध सुविधाएँ;

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968

(ii) रेलें, ट्रामवे, सड़कें, पुल, नहरें और भूमि या जल द्वारा परिवहन के सभी अन्य साधन;

(iii) तार, डाकघर, संकेतन साधित्र और सभी अन्य संचार साधन;

(iv) जल—प्रदाय के स्रोत और पद्धतियां, जल गैस या विद्युत् के प्रदाय के संकर्म और लोक—प्रयोजनों के लिए सभी अन्य संकर्म;

1939 का 4

(v) जलयान, वायुयान, मोटरयान अधिनियम, 1939 में यथा परिभाषित परिवहन यान और रेलों तथा ट्रामवे के चल स्टाक;

(vi) भांडागार तथा भंडारकरण के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले या ऐसे उपयोग के लिए आशयित सब अन्य स्थान;

(vii) साधारणतः खाने, तेल — क्षेत्र, कारखाने या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपकरण या विशिष्टतः कोई खान, तेल—क्षेत्र, कारखाना या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपकरण;

(viii) ऐसी प्रयोगशालाएं और संस्थाएं जहां वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक अनुसंधान या प्रशिक्षण चलाया या दिया जाता है;

(ix) ऐसे सभी संकर्म और संरचनाएं जो इस खंड में पूर्व वर्णित किसी चीज के भाग हैं या उससे सम्बन्धित हैं;

(x) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अर्धसरकारी अथवा स्वायत संगठन के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला या लाए जाने के लिए आशयित कोई ऐसा अन्य स्थान या चीज जिसका संरक्षण नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझा जाए;

(त) किसी सड़क या पथ्या, जलमार्ग, पारधाट या पुल, नदी, नहर या जल—प्रदाय के अन्य स्रोत का नियंत्रण;

(थ) ऐसे पूर्वाधानिक उपाय जिन्हें अपनी—अपनी अधिकारिता के अन्दर अथवा अपने द्वारा नियोजित किसी कार्मिक के सम्बन्ध में करने की अपेक्षा, सरकार या उसके किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी, पुलिस बल के सदस्यों, अग्निशामक दल और नागरिक सुरक्षा से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रथमतः नियोजित किसी अन्य सेवा या प्राधिकारी के सदस्यों से की जानी चाहिए ;

(द) किन्हीं वर्दियों के, चाहे वे शासकीय हों या अन्य, या ध्वजों के या पदकों, बैजों अथवा अन्य लक्ष्य जैसे शासकीय अलंकरणों, या तत्समान किसी वस्तु के, जिसे धारण करना प्रवंचन के लिए या नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए प्रकल्पित हो, किसी उपयोग का निवारण या नियंत्रण करना;

(ध) किसी आशंकित बैरपूर्ण आक्रमण के खतरों से जन साधारण या उसके किन्हीं सदस्यों की संरक्षा करने या उन्हें उन खतरों से अवगत कराने की दृष्टि से व्यक्तियों या प्राधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली पूर्वाधानियां या की जाने वाली कार्रवाई;

(न) किसी भवन, संरचना या परिसर के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे इन्तजाम करने या पूरे करने की अपेक्षा करना जो अग्नि का पता लगाने या उसके निवारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों;

(प) आग लग जाने पर उसके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट उपाय करना;

(फ) यह निदेश देना कि किसी विनिर्दिष्ट छूट के अधीन रहते हुए, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उपस्थित कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा दिए गए अनुज्ञा —पत्र से प्राप्त अधिकार के बिना, ऐसे घंटों के बीच, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपने घर के बाहर नहीं रहेगा;

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968

(ब) (i) किसी ऐसे समाचार-पत्र, समाचार-पत्रक, पुस्तक या अन्य दस्तावेज के, जिसमें नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बातें हों, मुद्रण और प्रकाशन का प्रतिषेध करना;

(ii) किसी ऐसे समाचार-पत्र, समाचार-पत्रक, पुस्तक या अन्य दस्तावेज के, जिसमें उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट बातों में से कोई बात हो मुद्रण और प्रकाशन के प्रयोजन के लिए काम में लाये जाने वाले किसी प्रेस से प्रतिभूति मांगना और ऐसे समाचार-पत्र, समाचार-पत्रक, पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रतियां सम्पहृत कर लेना;

(म) ऐसे क्षेत्रों की बाबत, जिनका नियंत्रण आवश्यक या समीचीन समझा जाए, व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करना और ऐसे क्षेत्रों से व्यक्तियों का हटाया जाना;

(म) किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग से नागरिक सुरक्षा की किसी स्कीम का अनुपालन करने की अपेक्षा करना;

(य) कोई अन्य उपबन्ध जो नागरिक सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (i) के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबन्ध कर सकेगा कि उसमें विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा सकेंगे।

(3) उपधारा (i) के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबन्ध कर सकेगा कि उसका या उसके अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अध्याय 3

नागरिक सुरक्षा कोर

4. (1) राज्य सरकार, राज्य के अन्दर के किसी क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति-निकाय गठित कर सकेगी जो नागरिक सुरक्षा कोर कहलाएगा (और जिसे इसमें इसके पश्चात् “कोर” कहा गया है), और वह ऐसी कोर का समादेशन करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में जिला मजिस्ट्रेट से नीचे की पंवित का न हो (और जो “नियंत्रक” कहलाएगा) नियुक्त कर सकेगी:

नागरिक सुरक्षा कोर
का गठन।

परन्तु यदि राज्य के किसी क्षेत्र में, इस अधिनियम के उस क्षेत्र में प्रवृत्त होने के ठीक पहले कोई ऐसा संगठन विद्यमान हो जिसे राज्य सरकार की राय में कोर के कृत्य सौंपे जा सकते हों, तो राज्य सरकार, उस क्षेत्र के लिए अलग कोर गठित करने के बजाय, उस संगठन से उस क्षेत्र में कोर के कृत्यों को ग्रहण कर लेने या उनका निर्वहन करने की अपेक्षा कर सकेगी और तब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह संगठन उस क्षेत्र के लिए कोर समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य के अन्दर नियंत्रकों के क्रियाकलाप में समन्वय स्थापित करने के प्रयोजन से, एक नागरिक सुरक्षा निदेशक नियुक्त कर सकेगी और प्रत्येक नियंत्रक ऐसे निदेशक द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगा।

5. (1) राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को, जो कोर के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए योग्य और रजामंद हों, ऐसे सदस्य नियुक्त कर सकेगी और नियंत्रक ऐसे नियुक्त किसी सदस्य को कोर में के ऐसे पद या समादेशन पर, जिसे धारण करने के लिए ऐसा सदस्य नियंत्रक के राय में योग्य हो, नियुक्त कर सकेगा।

सदस्यों और अधिकारियों
की नियुक्ति।

(2) कोर का सदस्य नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रारूप में, जैसा विहित किया जाए, एक सदस्यता – प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968

6. (1) जहां नियंत्रक की राय में, कोर का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के नाते अपने कर्तव्यों के समाधानप्रद रूप से निर्वहन में असफल रहे या रहा हो या ऐसे सदस्य के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अवचार का दोषी पाया जाए या पाया गया हो, वहां नियंत्रक ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें कोर के ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की बाबत सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, आदेश द्वारा ऐसे सदस्य को कोर से पदच्युत कर सकेगा।

नगरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों की पदच्युति।

(2) जहां नियंत्रक की यह राय हो कि कोर के किसी सदस्य का उसमें बना रहना अवांछनीय है, वहां वह कोई कारण दिये बिना ऐसे सदस्य को कोर से संक्षेपतः पदच्युत कर सकेगा।

7. कोर का वह सदस्य, जो कोर से धारा- 6 के अधीन पदच्युत कर दिया जाए, ऐसी पदच्युति की तारीख से तीस दिन के अन्दर राज्य सरकार से अपील कर सकेगा और वह सरकार ऐसी अपील पर नियंत्रक या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

अपील

8. (1) कोर के सदस्य नागरिक सुरक्षा के उपाय करने के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा सौंपे जाएं।

नगरिक सुरक्षा कोर के सदयों के कृत्य।

(2) राज्य सरकार या नियंत्रक, आदेश द्वारा, कोर के किसी सदस्य को प्रशिक्षण के लिए या नागरिक सुरक्षा के उपाय किए जाने के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, आहूत कर सकेगा।

(3) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, किसी राज्य की कोर के किसी सदस्य से किसी अन्य राज्य में नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में कृत्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा, आदेश द्वारा किसी समय भी की जा सकेगी और जब ऐसा सदस्य ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब वह उस अन्य राज्य की कोर का सदस्य समझा जाएगा और उस अन्य राज्य की कोर के सदस्य की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार उसमें निहित होंगे और उस अन्य राज्य की कोर के सदस्य के दायित्व उस पर होंगे।

9. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम—

(क) कोर के सदस्यों के कृत्य विहित कर सकेंगे और वह रीति विनियमित कर सकेंगे जिससे वे सेवा के लिए आहूत किए जा सकेंगे;

(ख) किसी कोर के या सभी कोरों के सदस्यों का संगठन, नियुक्ति, सेवा की शर्तें, अनुशासन, साजसज्जा और वस्त्र विनियमित कर सकेंगे;

(ग) किसी कोर की या सभी कोरों की सदस्यता के प्रमाणपत्रों का प्रारूप विहित कर सकेंगे।

अध्याय—4 प्रकीर्ण

1962 का 59

10. वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1962 के और उसके अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम के उपबन्ध, कोर का सदस्य नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को हुई प्रत्येक वैयक्तिक सेवा क्षति को, निम्नलिखित उपांतरों के साथ, याकृतशक्य उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक की हुई वैयक्तिक सेवा क्षति को लागू होते हैं।

वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम के उपबन्धों का कोर के सदस्यों का हुई क्षतियां का लागू होना।

(क) उस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह कोर के सदस्य के प्रति निर्देश है; तथा

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968

(ख) उसमें आपात की कालावधि के प्रति किसी निर्देश का, कोर के सदस्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस कालावधि के प्रति निर्देश है जिसके दौरान यह अधिनियम प्रवृत्त रहता है ।

11. (1) यदि धारा-8 की उपधारा (2) के अधीन के किसी आदेश द्वारा आहूत होने पर कोर का कोई सदस्य उस आदेश के अनुपालन या ऐसे सदस्य के नाते अपने कृत्यों के निर्वहन या उसके कृत्यों के पालन के लिए उसे दिए गए किसी विधिपूर्ण आदेश या निर्देश के अनुपालन में उपेक्षा करेगा या उससे पर्याप्त कारण के बिना इंकार करेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी उपेक्षा या इन्कार जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

शास्तियाँ

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या उसे दिए गए किसी निर्देश के अनुपालन में उपेक्षा करेगा या किसी उचित कारण के बिना असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, और जहां ऐसी उपेक्षा या असफलता जारी रहती है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी उपेक्षा या असफलता जारी रहती है पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

12. (1) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्ध अथवा इस अधिनियम या ऐसे किसी नियम के अधीन से किया गया कोई आदेश, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावशील किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावशील होंगे ।

अन्य अधिनियमितियों से असंगत अधिनियम और नियमों आदि का प्रभाव ।

(2) नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व नागरिक सुरक्षा से सम्बन्धित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, किया गया प्रत्येक आदेश या बनाया गया प्रत्येक नियम, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक वह इस अधिनियम के अधीन विखंडित न कर दिया जाए या उसमें कोई परिवर्तन न कर दिया जाए और वह इस अधिनियम के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन की गई, दिया गया या बनाया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण— किसी उपबन्ध या क्षेत्र के सम्बन्ध में “इस अधिनियम का प्रारंभ” से, यथास्थिति, उस उपबन्ध का प्रारंभ या उस क्षेत्र में इस अधिनियम का प्रारंभ अभिप्रेत है ।

13. इस अधिनियम के अनुशारण में कार्य करने वाला कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जीवन के सामान्य कार्य और सम्पत्ति के उपभोग में उतना कम से कम हस्तक्षेप करेगा, जितना लोक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के अनुरूप हो ।

जीवन के सामान्य कार्य में यथा सम्भव कम हस्तक्षेप किया जाना ।

14. (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में प्रश्नगत न किया जाएगा ।

आदेशों के सम्बन्ध में व्यावृत्तियाँ ।

(2) जहां कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया और हस्ताक्षरित तात्पर्यित हो, वहां न्यायालय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ में यह उपधारणा करेगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा ही इस प्रकार किया गया था ।

1872 का 1

15. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश की कोई बात संघ के सशस्त्र बल को या उन उपायों को लागू न होगी जो संघ के सशस्त्र बल पर नियंत्रण रखने वाले प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा नागरिक सुरक्षा या ऐसे बल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायु—सेना संस्थापनों या भंडारों के संरक्षण के लिए काम में लाए जाए ।

सशस्त्र बल के संरक्षण के लिए किए गए उपायों को अधिनियम का लागू न होना ।

16. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन नियंत्रक द्वारा, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, अथवा नियंत्रक या ऐसे व्यक्ति की सम्मति से, ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

अभियोजनों की परिसीमा ।

17. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि—

प्रत्यायोजन करने की शक्ति

(क) वे सभी शक्तियां, जिनका प्रयोग उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, या उनमें से कोई ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अधिकारी द्वारा भी जो राज्य सरकार की राय में जिलामजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न तो और जिसे उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय,

(ख) वे सभी शक्तियां, जिनका, प्रयोग नियंत्रक द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, या उनमें से कोई ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जो राज्य सरकार की राय में उपखंड मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयुक्त की जा सकेगी ।

18. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए किन्हीं आदेशों या ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन जारी किए गए किन्हीं, आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार, निदेशक या नियंत्रक अथवा सरकार या नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

सद्भावपूर्वक को गई कार्रवाई
के लिए परिचाण ।

(2) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे नुकसान के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या ऐसे किसी नियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुआ या संभाव्य हो, सरकार, निदेशक या नियंत्रक अथवा सरकार या नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

19. कोई व्यक्ति जो नियंत्रक या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत हो, और कोर का प्रत्येक सदस्य, जब तक वह ऐसे कार्य कर रहा हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

प्राधिकृत व्यक्तियों और कोर
के सदस्यों का लाक सेवक होना ।

¹[20. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

नियमों और विनियमों का
संसद के समझ रखा जाना

1.1983 के अधिनियम सं 20 की धारा 2 अनुसूची द्वारा (15-3-1984) से प्रतिस्थापित ।